उत्तर प्रदेश शासन
महिला कल्याण अनुभाग-1
संख्या-25/2022/342633/60-1099/123/2022
लखनऊ::दिनांक 21 अक्टूबर, 2022

कार्यालय आदेश

श्रीमती शक्ति त्रिपाठी, जिला परिवीक्षा अधिकारी, मीरजापुर को वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 के भाग-2 से 4 के सहायक नियम-153 (1) के अन्तर्गत दिनांक 12.09.2022 से दिनांक 10.03.2023 तक कुल 180 दिन का मातृत्व अवकाश एतद्द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

2- श्रीमती त्रिपाठी के अवकाश की उक्त अवधि (दिनांक 12.09.2022 से दिनांक 10.03.2023) तक जिला परिवीक्षा अधिकारी, मीरजापुर के पदीय दायित्वों का निर्वहन उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, मिर्जापुर मण्डल, मिर्जापुर द्वारा किया जायेगा।

उक्त कार्य हेतु उन्हें अतिरिक्त वेतन भत्ता देय नहीं होगा।

(दिनेश चन्द्र पाण्डेय)
उप सचिव

संख्या-25/2022/342633(1)/60-1099/123/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मण्डलायुक्त, मिर्जापुर मण्डल, मिर्जापुर।
2- जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
3- निदेशक, महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
5- उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी/जिला परिवीक्षा अधिकारी, मिर्जापुर मण्डल, मिर्जापुर।
6- संबंधित अधिकारी।
7- गार्ड फाइल।

(दिनेश चन्द्र पाण्डेय)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in